



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक नियमित (दो वर्षीय सेवाकालीन, यदि हो तो, सहित) परीक्षा, 2024 के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी सूचना

**विज्ञप्ति संख्या - 27./2024**

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं इस परिषद् से सम्बद्ध राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या, प्रशिक्षुओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन पंजी के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा शिक्षा सत्र 2018-2020, 2019-21, 2020-2022, 2021-23 एवं शिक्षा सत्र 2022-2024 (साथ ही गत वर्ष के वैसे प्रशिक्षु, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है एवं पंजीयन नहीं करा सके हैं) (सत्र 30 अगस्त, 2023 तक पूरा होने की स्थिति में) के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र, परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

|                   | ऑनलाइन पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि | चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि |
|-------------------|---|--|
| विलम्ब शुल्क रहित | 15.07.2024 से 29.07.2024 तक   | 31.07.2024 तक                                      |
| विलम्ब शुल्क सहित | 30.07.2024 से 05.08.2024 तक   | 07.08.2024 तक                                      |

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश एवं शुल्क संबंधी विवरणी परिषद् के वेबसाइट [www.jac.jharkhand.gov.in/jac](http://www.jac.jharkhand.gov.in/jac) का अवलोकन कर तदनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

डा.प्रा. JAC/PTT/1663/24/ Secy/784/24

दिनांक 12.7.2024

D O P - 13.7.2024

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव,


झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,  
राँची।


12/7/24

ज्ञापांक : JAc|P.T.T|1663|24|Secy|784|24 दिनांक : 12-7-2024

विज्ञप्ति प्रेषित : (1) मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को (क) प्रभात खबर झारखण्ड, (ख) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (ग) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (घ) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 13.07.2024 के संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।

(2) वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विज्ञप्ति को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

  
सचिव,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,  
राँची।

  
12/7/24